भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 108
09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निधि आवंटन

***108. सुश्री देबाश्री चौधरी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के आरंभ से इसके अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एनएचएम को सुदृढ़ बनाने और इसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु और अधिक निधियां आवंटित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पश्चिम बंगाल में एनएचएम के आरंभ से इसके अंतर्गत स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसीएस) का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एनएचएम के कार्यान्वयन और प्रगति का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 09 फरवरी, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.108 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय साम्यतापूर्ण, किफायती और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सार्वभौमिक सुलभता के प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कार्यान्वित कर रहा है। सरकार स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता और विशेष तौर पर अल्पसेवित और हाशिए पर रह रहे समूहों के लिए गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और इसकी सुलभता में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। पश्चिम बंगाल राज्य को शुरूआत से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तहत आंवटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

<table>
<tr><th>वित्त वर्ष</th><th colspan="2">केंद्र द्वारा जारी राशि</th><th>व्यय</th></tr>
<tr><td>2013-14</td><td colspan="2">986.55</td><td>1309.74</td></tr>
<tr><td>2014-15</td><td colspan="2">1115.74</td><td>1253.90</td></tr>
<tr><td>2015-16</td><td colspan="2">1061.64</td><td>1589.75</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td colspan="2">806.98</td><td>1914.71</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td colspan="2">1,305.37</td><td>2,341.05</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td colspan="2">1116.09</td><td>2236.34</td></tr>
<tr><td>2019-20</td><td colspan="2">1749.32</td><td>2340.84</td></tr>
<tr><td>2020-21</td><td colspan="2">1895.01</td><td>2598.62</td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td colspan="2">1654.26</td><td>2229.46</td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td colspan="2">1,252.32</td><td>3,509.86</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2023-24</td><td>केंद्रीय आवंटन</td><td>केंद्र द्वारा जारी राशि</td><td>व्यय</td></tr>
<tr><td>1,510.89</td><td>831.55</td><td>1,608.64</td></tr>
</table>

नोट:

1. उपर्युक्त जारी राशि केंद्र सरकारी अनुदान से संबंधित है और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
2. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी राशि दिनांक 20.01.2024 तक अद्यतन है और यह अनंतिम है।
3. व्यय में केंद्र द्वारा जारी राशि, राज्य द्वारा जारी राशि और व्यय में वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुरुप है। आरसीएच आदि के फ्लेक्सिबल पूल के संबंध में व्यय दिनांक 30.11.2023 तक अद्यतन है और अनंतिम है।
4. वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आवंटन की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 तक पश्चिम बंगाल राज्य को जारी राशि 12.24% तक बढ़ी है।

इसके अतिरिक्त, आरएचएस 2021-22 के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और 1,371 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) कार्यशील हैं।

एनएचएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बातचीत की जाती है। एनएचएम के कार्यान्वयन और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणालियां मौजूद हैं जैसे:

- एनपीसीसी बैठकों के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की कार्यवाही के रिकॉर्ड के प्रमुख बिन्दुओं की समीक्षा करना।
- निधियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का कार्यान्वयन करना ।
- आगामी किस्तें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर ही जारी की जाती हैं।
- लेखापरीक्षा:-
    - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा कार्यनिष्पादन की लेखापरीक्षा करना,
    - वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैनल में शामिल चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों की लेखापरीक्षा करने के लिए पात्र फर्मों द्वारा वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा संचालित करना और
    - चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑडिट फर्मों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वित्तीय निगरानी रिपोर्ट (एफएमआर) को प्रस्तुत करना।

इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्र दौरों के माध्यम से की जाती है, सेवा सुपुर्दगी और पुरस्कार योग्य उपलब्धियों आदि के लिए मानक स्थापित करके निष्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का कार्यचालन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) जैसे बाहरी सर्वेक्षणों के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रगति की वर्तमान स्थिति अनुलग्नक-I में दी गई है। इसके अतिरिक्त, एनएचएम के तहत, विभिन्न स्कीमों की प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए समय-समय पर सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) चलाए जाते हैं। सीआरएम की प्रमुख कार्यनीतियां और प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के संबंध में चुनौतियों का विश्लेषण करना, प्रमुख संकेतकों की प्रगति में रुझानों की पहचान करना, नई पहलों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की तैयारी का मूल्यांकन करना और विभिन्न भागीदारों के साथ प्रगति और समन्वय प्रणाली की समीक्षा करना। सीआरएम की विभिन्न रिपोर्टों का विवरण निम्नलिखित पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है:-

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=795&lid=195

दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 1,64,478 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यशील बना दिए हैं।

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वास्तविक उपलब्धि/प्रगति को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (सितंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में					ग्रामीण क्षेत्रों में		
		स्वास्थ्य मानव संसाधन संवर्द्धन	मोबाइल मेडिकल यूनिट (परिचालन)	एम्बुलेंस (परिचालन)	मान्यता प्राप्त विशेष स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशाकर्मी) (कार्यरत)	रोगी कल्याण समितियों की स्थापना	24x7 आधार पर कार्यशील प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	कार्यात्मक एफआरयू (प्रथम रेफरल इकाइयां)	गठित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियां
1	बिहार	19256	0	1818	94976	1927	496	68	8406
2	छत्तीसगढ़	7533	30	641	71546	1007	271	50	19180
3	हिमाचल प्रदेश	1314	12	404	7924	797	0	24	7916
4	जम्मू और कश्मीर	8603	10	489	13269	741	185	54	6494
5	झारखंड	8325	36	2176	42289	608	121	53	30012
6	मध्य प्रदेश	21284	0	2052	69173	1909	834	144	49567
7	ओडिशा	6138	9	1130	49194	1818	98	76	46064
8	राजस्थान	7355	233	1609	53642	3565	2363	95	43440
9	उत्तर प्रदेश	31517	170	4720	170090	1818	439	334	76768
10	उत्तराखंड	4545	0	388	12018	325	87	50	14915
11	अरुणाचल प्रदेश	2000	16	239	4170	228	64	14	3772
12	असम	17101	130	800	32500	1265	314	71	28149
13	मणिपुर	1593	9	33	4009	132	66	7	3878
14	मेघालय	1653	4	160	7071	177	65	9	6310
15	मिजोरम	1286	9	65	1091	86	41	15	872
16	नागालैंड	1052	11	93	2169	178	33	15	1346
17	सिक्किम	409	0	8	676	32	24	3	641
18	त्रिपुरा	583	0	50	7663	161	83	13	1178
19	आंध्र प्रदेश	12143	67	628	42558	1389	1146	244	13130
20	गोवा	522	0	31	0	37	13	2	247
21	गुजरात	11341	74	618	44324	2371	511	130	17648
22	हरियाणा	9434	59	610	20327	658	238	42	6049
23	कर्नाटक	15417	0	881	41333	2904	960	177	26087
24	केरल	5693	36	315	26448	1328	171	87	19936
25	महाराष्ट्र	25619	20	4486	72412	3607	1591	220	39723
26	पंजाब	4468	33	0	20100	747	210	185	12968
27	तमिलनाडु	33184	425	1353	4864	2614	1316	557	15015
28	तेलंगाना	13509	0	455	28160	998	333	118	10431
29	पश्चिम बंगाल	19329	49	2955	67802	1131	234	161	48429
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	374	0	26	422	34	22	1	275
31	चंडीगढ़	421	0	6	0	33	0	4	0
32	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	397	3	11	440	12	9	8	89
33	दिल्ली	1614	2	177	6200	33	1	34	0
34	लद्दाख	1366	0	19	0	42	12	7	247
35	लक्षद्वीप	235	0	0	605	9	4	6	9
36	पुडुचेरी	478	4	11	442	49	23	4	99
कुल		**297091**	**1451**	**29457**	**1019907**	**34770**	**12378**	**3082**	**559290**

स्रोत: सितंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार एनएचएम-एमआईएस

*****